



टी डी एस सी पी सी, आयकर भवन, सेक्टर-3, वैशाली, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 TDS CPC, Aaykar Bhawan, Sector - 3, Vaishali, Ghaziabad, U.P. - 201010

टेलीफोन: 0120 - 4814600 (टोल फ्री): 18001030344 Telephone: 0120 - 4814600 (Toll Free): 18001030344

वेबमेल : www.tdscpc.gov.in ई-मेल आईडी : contactus@tdscpc.gov.in Website: www.tdscpc.gov.in Email ID: contactus@tdscpc.gov.in

# INTIMATION U/S 200A/206CB OF THE INCOME TAX ACT, 1961

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200A/206CB के अधीन पत्र

RU958138515	in			
Name & Address  JIJI CHERIAN  Principal Officer  3/961, M P ENTERPRISES  POOKATTUPADI ROAD, OONICHIRA  ERNAKULAM - 682021, KERALA  Ph. No.: 9207058745			नाम व पता जिजी चेरीयन 3/961, एम पी एटंरप्राइसेस पूकहुपदी रोड, ऊनिचीरा एर्नाकुलम - 682021, केरला 9207058745	
पत्र-संदर्भ संख्या	टैन	विवरण प्रकार	वित्तीय वर्ष	तिमाही
Document Identification No.	TAN	Statement Type	F.Y.	Quarter
TDS/2324/26Q/D/100054023545	CHNJ03085F	नियमित	2023-24	क्यू4
		Regular		Q4
टीडीएस / टीसीएस फार्म संख्या	टोकन क्रमांक		नियमित विवरण फाइल करने की तिथि	आदेश की तिथि
TDS / TCS Form Number	Token Number		Date of Filing of Regular Statement	Order Pass Date
26 क्यू	7797XXXXXXX	9490	05-Jul-2024	13-Jul-2024
26Q				

- यह नोटिस दिया जाता है कि ₹ 7,000.00 राशि (ब्याज सिहत) निश्चित की गई है। जिसका भुगतान आपके द्वारा ऊपर कॉलम में दर्शाए गए ब्यौरे के संबंध में किया जाना है।
  - This is to give you a notice that a sum of  $\sqrt[3]{7,000.00}$  (including interest) has been determined to be payable by you in respect of statement filed by you as above
- 2. जैसा कि उपरोक्त पर विचार करते हुए टी डी एस/टी सी एस विवरणी के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200A/206CB के अधीन राशि निश्चित की गई है। चूकों के ब्यौरें 'प्रामाणिकता रिपोर्ट' में दिए गए है जो कि ट्रेसिज (www.tdscpc.gov.in) पर आपके खाते में उपलब्ध है। नमुना के आधार पर देय राशि के संक्षिप्त सार का उल्लेख नीचे इस प्रकार है:

The sum has been determined u/s 200A/206CB of the Income Tax Act, 1961 in respect of the TDS/TCS statement as considered above. The details of defaults are given in the 'Justification Report' which is available in your account on TRACES (<a href="www.tdscpc.gov.in">www.tdscpc.gov.in</a>). The brief summary of sum payable is mentioned as below on sample basis:

क्रम <u>.</u>	चूक का प्रकार	चूक की	विवरणी में 'ब्याज/ अन्य दावे' के	देय (₹)
सख्या	Type of Default	राशि (₹)	रूप में रिपोर्ट की गई राशि (₹)	Payable (₹)
Sl.		Default	Amount reported as	
No.		Amount (₹)	'Interest / Others' claimed	
			in the statement (₹)	
1	अल्प भुगतान	0.00	0.00	0.00
	Short Payment			
2	अल्प कटौती/ संग्रहण	0.00	0.00	0.00
	Short Deduction/Collection			
3	धारा 201(1ए)/206सी(7) के अधीन			
	भुगतानों की चूक पर ब्याज			
	Interest on payments default u/s			
	201(1A)/206C(7)			
3(a)	अल्प भुगतान पर ब्याज	0.00	0.00	0.00
	Interest on short payment			



क्रम	चूक का प्रकार	चूक की	विवरणी में 'ब्याज/ अन्य दावे' के	देय (₹)
संख्या	Type of Default	राशि (₹)	रूप में रिपोर्ट की गई राशि (₹)	Payable (₹)
Sl.		Default	Amount reported as	
No.		Amount (₹)	'Interest / Others' claimed	
			in the statement $(\overline{\xi})$	
3(b)	देर से भुगतान पर ब्याज	5,292.00	5,292.00	0.00
Interest on late payment				
4	धारा 201(1ए)/206सी(7) के अधीन कटौती/			
	संग्रहण की चूक पर ब्याज			
	Interest on deduction/collection default u/s			
	201(1A)/206C(7)			
4(a)	अल्प कटौती/संग्रहण पर ब्याज	0.00	0.00	0.00
	Interest on short deduction/collection	7		
4(b)	देर से कटौती/ संग्रहण पर ब्याज	0.00	0.00	0.00
	Interest on late deduction/collection			
5	धारा 234ई के अधीन देर से फाइल करने	7,000.00	0.00	7,000.00
	पर श्ल्क			
	Late Filing fee u/s 234E			
	देय (₹) P	ayable (₹)		7,000.00
पूर्णांकित करें (दस रूपए के निकटतम गुणक मे) (₹)				0.00
Rounding-Off (to the nearest multiple of ten rupees) (₹)				
		et Payable (₹)		7,000.00

3. उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या 1 तथा 2 पर चुकें इस तथ्य के कारण हैं कि आपने न तो कटौती की और न ही भुगतान किया है अथवा आयंकर अधिनियम,1961 के अनुसार कटौती करने के पश्चात आप पूरे अथवा कर के किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहे है। अतः आपसे अनुरोध है कि आदेश पारित करने की तारीख के कलेण्डर माह के अन्दर उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या 1,2,3(ए), तथा 4(ए) के अनुसार चुक राशि का भुगतान करें। भुगतान करने में आगे विलम्ब होने की स्थिति में आपको क्रम संख्या 3(ए) तथा 4(ए) के लिए धारा 201(1ए) के अधीन ब्याज की पुनः संगणना करने और तदानुसार भुगतान करने की सलाह दी जाती है।

The defaults at Sl. No. 1 and 2 in the table above are on account of the fact that you have either not deducted or not paid or after so deducting,

The defaults at Sl. No. 1 and 2 in the table above are on account of the fact that you have either not deducted or not paid or after so deducting, failed to pay the whole or any part of the tax as per the Income Tax Act, 1961. You are requested to pay the default amount as per Sl. No. 1, 2, 3(a) & 4(a) in the table above, within the calendar month of the order pass date. In case of further delay in payment, you are advised to recalculate the interest under section 201(1A) for Sl. No. 3(a) & 4(a) and pay accordingly

3.1 कृपया नोट करें कि जैसा कि आपने क्रम संख्या 1 और 2 में नियत चूक की भुगतान की है, तदानुसार ब्याज में कमी की जाएगी और 'देर से भुगतान / कटौती पर ब्याज' की उचित गणना की जाएगी।

Please note that as you pay the defaults at Sl. No. 1 & 2, the corresponding interest would reduce & the 'Interest on Late Payment / Deduction' shall be appropriately calculated

4. क्रम संख्या 3(बी), 4(बी) तथा 5 पर चूक राशियों का भुगतान इस सूचना के तामिल हो जाने (सूचना पहले ही पंजीकृत ई-मेल आई डी पर भेज दी गयी है) के 30 दिन के अन्दर करना होगा। यदि आप उपयुक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सरकारी खाते में राशि का भुगतान नहीं करते है तो धारा 220(2) के अनुसार उपरोक्त अविधि के समाप्त होने के बाद लागू तारीख से प्रत्येक माह अथवा माह के हिस्से के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निर्धारित दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के उत्तरदायी होगें।

The default amounts at \$1. No. 3(b), 4(b) and 5 should be paid within 30 days of the service of this intimation (Intimation has already been sent at the registered Email ID). If you do not pay the amount within the period specified above to government account, you shall be liable to pay simple interest at prescribed rate as per Income Tax Act, 1961 for every month or part of the month from the date commencing after end of the period aforesaid in accordance with section 220(2)

5. आपने टी डी एस/टी सी एस विवरणी में अमान्य /कोई पैन का उल्लेख नही किया है। नीचे सारणी के अनुसार अभी इसे ठीक किया जाना अपेक्षित हैः

बिना पैन के	अमान्य पैन के साथ	मान्य पैन के साथ	कटौती करवाने वालो
कटौती करवाने वाले	कटौती करवाने वाले	कटौती करवाने वाले	की कुल संख्या
0	0	2	2

The Invalid / No PAN quoted by you in the TDS / TCS statement as tabulated below are required to be corrected:

Deductees Without PAN	Deductees With Invalid PAN	<b>Deductees With Valid PAN</b>	Total Number of Deductees
0	0	2	2

- 6. उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अविधि के अन्दर यदि आप राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 221 के अनुसार आपको सुनवाई के साथ उचित अवसर प्रदान करने के बाद शास्ति (अर्थदण्ड) (जो कि बकाया कर की राशि के अनुस्प होगी) लगायी जाएगी। \*\*
  If you do not pay the amount of the tax within the period specified above, penalty (which may be as much as the amount of tax in arrear) may be imposed upon you after giving you a reasonable opportunity of being heard in accordance with section 221 of the Income Tax Act, 1961\*\*
- 7. यदि आप उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं 222 से 227 तक, 229 और 232 के अनुसार इसकी प्रत्येक वसूली के लिए कार्यवाहियां की जाएगी। \*\* If you do not pay the amount within the period specified above, proceedings for the recovery thereof will be taken in accordance with sections

222 to 227, 229 and 232 of the Income Tax Act, 1961\*\*



- 8. इस सूचना को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 156 के अधीन मांग का नोटिस के रूप में माना जाएगा। This intimation may be treated as notice of demand under section 156 of the Income Tax Act, 1961
- 9. आयकर अधिनियम की धारा 200ए/206सीबी की उपधारा (1) के तहत यह सूचना धारा 246ए की उपधारा (1) के खंड (ए) के अतंर्गत, आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य है, जिसे इस सूचना की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर' दाखिल किया जाना चाहिए।

  This intimation under sub section (1) of section 200A/206CB of the Income Tax Act is appealable under clause (a) of sub section (1) of section 246A before the Commissioner (Appeals) to be filed within 30 days from the date of service of this intimation.
- \*\* टी डी एस निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार द्वारा। (पैरा(पैरे) 6 तथा 7 उपर्युक्ता)

\*\* By the Jurisdiction TDS Assessing Officer (Para(s) 6 and 7 above)



Surendar Ishwar Sharma Assistant Commissioner of Income-tax Centralized Processing Cell - TDS

### Notes (टिप्पणी):

- 1. ब्याज एवं उदग्रहण (लेवी) संगणना तर्कः
  - ए. देर से भुगतान करने की चूक पर ब्याज की संगणना कटौती की तारीख से कर जमा करने की तारीख तक की गयी है। (ओलटास में रिपोर्टिंड चालान पहचान संख्या ब्यौरों में जमा करने की तारीख)
  - ही. देर से कटौती करने की चूक पर ब्याज की संगणना आदाता को भुगतान/ क्रेडिट की तारीख से कटौती की तारीख तक की गई है। (जैसा कि टी डी एस/टी सी एस विवरणी में रिपोर्ट की गयी)
  - सी. उदग्रहण (लेवी) की संगणना टी डी एस/टी सी एस विवरणी दाखिल करने की देय तिथि से टी डी एस/टी सी एस विवरणी दाखिल करने की तारीख तक ₹ 200/- दिन की दर से संगणना की गई है। (दाखिल की गयी विवरणियों के लिए और वित्तीय वर्ष 2012-13 की Q2 के बाद के लिए)

#### 1. Interest & Levy Computation Logic:

- a. Interest on late payment default has been calculated from the date of deduction till the date of deposit of tax (Date of Deposit in Challan Identification Number details reported in OLTAS)
- b. Interest on late deduction default has been calculated from the date of payment / credit to the payee till the date of deduction (As reported in TDS / TCS statement)
- c. Levy has been calculated @ ₹ 200/- day from the due date of filing the TDS / TCS statement till the date of filing the TDS / TCS statement (For statements filed for and after Q2 of FY 2012-13)

# 2. पैन संबंधी त्रृटियां :

- ए. आपके द्वारा दाखिल की गयी टी डी एस/टी सी एस विवरणी में किसी पैन गलती के मामले में आप आगामी ब्यौरों के लिए पैन गलतियां/ प्रामाणिकता रिपोर्ट के लिए संचारण का अवलोकन करें। जिसे ट्रेसिज (<u>www.tdscpc.gov.in</u>) से अवलोकन/डाउनलोड कर सकते हैं।
- बी. आपको सलाह दी जाती है कि भूलसुधार विवरणी के माध्यम से टी डी एस/टी सी एस विवरणी में अमान्य/ कोई पैन प्रविष्टियां नहीं को ठीक करें।
- सी. आपको सलाह दी जाती है कि ट्रेसिज (www.tdscpc.gov.in) से समेकित टैन-पैन मास्टरर को डाउनलोड करें और पैन गलतियों से बचने हेतू दी डी एस/टी सी एस विवरणी में कटौती करवाने वाले के पैन को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग करें।
- डी. ट्रेसिंज <u>(www.tdscpc.gov.in)</u> पर विशेष पैन सत्यापन भी उपलब्ध है।

#### 2. PAN Errors:

- a. In case there is any PAN error in the TDS / TCS statement filed by you, refer communication for PAN Errors / Justification Report for further details which can be viewed / downloaded from TRACES (<a href="www.tdscpc.gov.in">www.tdscpc.gov.in</a>)
- b. You are advised to correct the Invalid / No PAN entries in the TDS / TCS statement through a correction statement
- You are advised to download consolidated TAN PAN master from TRACES (<u>www.tdscpc.gov.in</u>) and use it for populating the PAN
  of deductees in TDS statement to avoid PAN errors
- d. Specific PAN verification is also available on TRACES (<a href="www.tdscpc.gov.in">www.tdscpc.gov.in</a>)

# 3. सामान्य बिन्दू:

- ए. यदि उपर्युक्त चूके डाटा प्रविष्टि और/अथवा लुप्त सूचना में गलती होने के कारण हैं, तो इसे भूलसुधार विवरणी दाखिल करने से ठीक करना होगा।
- बी. इस सूचना के प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर कर सूचना नेटवर्क सुविधा केंद्र (टिन-एफ सी) में भूलसुधार विवरणी दाखिल करके चूकों का संशोधन कर सकते हैं।
- सी. यदि आपने पंजीकरण किया है तो ट्रेसिज (<u>www.tdscpc.gov.in</u>) पर आपके खाते में अब सूचना तथा प्रामाणिकता रिपोर्ट उपलब्ध है। यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ऑनलाइन सेवाओ का सम्पर्क करने के लिए ट्रेसिज (<u>www.tdscpc.gov.in</u>) में अपना टैन का पंजीकरण करें।
- डी. पत्र-संदर्भ संख्या, आदेश की तारीख और टैन का हमेशा उल्लेख करें।

कृपया नोट करें कि यह दस्तावेज कम्प्यूटर से तैयार किया गया है, इस प्रकार इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।

## 3. General Points:

- a. In case the above defaults are due to error in data entry and / or missing information, the same should be corrected by filing a correction statement
- Defaults can be rectified by filing correction statement with the Tax Information Network Facilitation Centre (TIN-FC) within 10 days
  of the receipt of this intimation



- c. Intimation and Justification Report are now available in your account on TRACES (<a href="www.tdscpc.gov.in">www.tdscpc.gov.in</a>) if you have already registered. If you are not already registered, you are advised to register your TAN with TRACES (<a href="www.tdscpc.gov.in">www.tdscpc.gov.in</a>) for accessing online services
- d. Always quote Document Identification No., Date of Order and TAN

#### NOTE:

1. Please note this is a computer generated document, hence it may not require signature.



